मुख्य कार्यालय / Head Office
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 1110066
www.epfiindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या निवेश -1 / 3 (2) / 133 /2010-11 / आर ओ आई / 6417 दिनांक 16 मई MAY 2011

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त,
प्रभारी अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय :- वर्ष 2011 - 12 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के दावों के निपटान हेतु ब्याज की दर - संबंधी

महोदय,

इस कार्यालय के पत्र संख्या निवेश 1 /3(2) /133/10-11 /आर ओ आई / 40717 दिनांक 18.03.2011 (सरकारी वेबसाइट पर 2010 -11 की क्रम संख्या 546), में आंशिक संशोधन करते हुए, यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011 -12 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के दावों के निपटारे के लिए वर्ष 2011-12 के लिए ब्याज दर के लिए जिसकी घोषणा लंबित है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 (2) के अन्तर्गत किए गए प्रावधान लागू होंगे । चूंकि वर्ष 2010-11 के लिए 9.5 % प्रति वर्ष ब्याज दर की घोषणा की गई है, वर्ष 2011-12 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं के दावों का भुगतान 9.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर के अनुसार होगा जब तक कि 2011-12 के लिए ब्याज दर घाषित नहीं की जाती ।

तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि सभी सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने के लिए सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी करें ।

भवदीय,

पी०के० उदगाता
16/5/2011

(पी.के.उदगाता)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त- I (वित्तीय एवं लेखा)

प्रतिलिपि :-

1. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव
2. केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सभी सदस्य
3. निदेशक, नाटरस, नई दिल्ली
4. सभी आंचलिक उप निदेशक (सतर्कता) / सभी आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी
5. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सू.सेवा) को सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने के अनुरोध सहित ।
6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (छूट), मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
7. प्रभारी अधिकारी, आं. प्र. सं., कोलकता, उज्जैन , फरीदाबाद एवं चेनैं
8. मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग
9. सभी आंचलिक अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
10. नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठन, सी.सी.आई, सी.आई.आई,ए.एस.एस.ओ.सी.एच.ए.एम, एफ.आई.सी.सी.आई.एवं पी.एच .डी.
11. नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठन, सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियन
12. निदेशक, (एस एस.।।), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
13. निदेशक (बजट), वित्त मंत्रालय, बजट प्रभाग - आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली
14. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - ।। (प्रभारी) नेशनल डाटा सेंटर, आदेशों को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु

(मनोरंजन कुमार)
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - ।। (निवेश)